

वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल राजगढ़ का अभिमत

प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उप वन संरक्षक का कारण सहित अभिमत। नोट :- आवेदित वनभूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरीत प्रभाव एवं पर्यावरण पर संभावित लाभों के प्रस्तावित परियोजना संभावित लाभों के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य / अमान्य करने बाबत स्पष्ट अभिमत दिया जावे । यदि किन्हीं विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का ब्यौरा दिया जावे।	आवेदक/ विभाग द्वारा मोहनपुरा बांध से राजगढ़ शहर तक एनएच-52 के किनारे आर.ओ.डब्ल्यू. के तहत राजगढ़ शहर वासियों को पानी के पीने की पाईप लाईन डालने में राजगढ़ वनखण्ड के कक्ष क्रमांक पी-45 में आवेदित वनक्षेत्र 0.066 हेक्टेयर का व्यपवर्तन करने हेतु अनुशंसा की जाती है।
--	---

(आर.एन. वर्मा)
भा.व.से.

वनसंरक्षक एवं
पदेन वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल राजगढ़

